न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

त्रिवेणी प्रसाद तनय श्री बल्लभ राम तिवारी उम्र 75 साल,पेशा– सेवा निबृत्त कर्मचारी,निवासी ग्राम फूल,तहसील मनगंवा,जिला रीवा म0प्र0

..................आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

प्राणनाथ मिश्रा तनय स्व0दुदन राम ब्रा0 उम्र 50 साल,पेशा खेती,निवासी फूल,थाना गढ, तहसील मनगंवा जिला रीवा म0प्र0

......................अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मंण्डल गढ़,तहसील मनगंवा के न्यायालय का मामला कमांक 24 सन 2016–2017 बिषय सीमांकन प्रकरण कमांक की श्रेणी अ12/016–017 ग्राम फूल,प0ह019,तहसील मनगंवा ,जिला रीवा म0प्र0के द्वारा किये गये सीमांकन पर पारित आदेश दिनांक 28.01.017 के बिरूद्ध म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा 50 के अधीन निगरानी

महोदय,

निगरानी का सूक्ष्म बिवरणः–

मौजा फूल नम्बर 01,रा0नि0मं0 सूरा, तहसील मनगंवा जिला रीवा म0प्र0की स्थित आराजी नम्बर 372 रकबा 1.08हे0 का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5090–दो/2017 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 24 अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–1–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक के आवेदन देने पर राजस्व निरीक्षक वृत्त सूरा ने राजस्व निरभ्खक वृत्त गुढ़, पटवारी हलका छोपी, पटवारी हलका चंदेह एंव पटवारी हलका करारी के संयुक्त दल के साथ ग्राम फूल स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 370/1, 370/2, 371, 343/2 , 344 एंव 345 का सीमांकन कार्य संपन्न किया है। सीमांकन के पूर्व मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की गई है तथा मौके पर ग्रामीणों के समक्ष सीमांकन करते हुये पंचनामा भी तैयार किया गया है। आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया है कि ग्राम फूल की आराजी क्रमांक 372 का आवेदक भूमिस्वामी है जो भूमि सर्वे क्रमांक 370/1, 370/2, 371, 343/2 , 344 एंव 345 से लगी हुई भूमि है। वाद विचारित भूमि के सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है जबकि आवेदक की	

भूमि का पूर्व में ही सीमांकन होकर मेढ़ एंव सीमायें कायम है जिसके कारण सीमांकन आदेश दिनांक 28–1–2017 गलत आधारों पर पारित हुआ है। तहसील न्यायालय में आवेदक को पक्षकारा बनाये बिना सीमांकन आदेश पारित किया गया है। एकपक्षीय सीमांकन करना गलत है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।

3/ प्रकरण के अवलोकन से परलिक्षित है कि ग्राम फूल स्थित भूमि सर्वे कमांक 370/1, 370/2, 371, 343/2 , 344 एंव 345 का अनावेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके कारण इन भूमियों का सीमांकन कराने हेतु वह पात्र है। यदि उक्त भूमियों के सीमांकन से आवेदक स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानता है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमियों का सीमांकन ई0टी0एस0एम0 से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक वृत्त सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा के प्रकरण कमांक 24 अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–1–2017 में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य